फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

काशीराम आदि **बनाम** रामस्वरूप व अन्य

किस्म मुकदमा:– 212 (2) आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–94/2019 (RCMS 2019/00197)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी सं. 1 ता 3 के स्वयं के नाम से व प्रार्थी सं. 4/1 से 4/3 के पति/पित श्री नेतराम के नाम से तथा प्रार्थी सं. 5 ता 9 के स्वयं के नाम से संयुक्त बारानी खातेदारी भूमि ग्राम रंगमहल की जमाबंन्दी संवत् 2071 ता 74 के खाता सं. 38/36 में कुल 6.920 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही रंगमहल के खाता सं. 38/36 खसरा सं. 165 में 3.238 हैक्टर खसरा सं. 167 में 0.482 हैक्टर खसरा सं. 1792 में 3.200 हैक्टर कुल 6. 920 हैक्टर खातेदारी भूमि पर सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्सा अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। मौका पर फसल साजी सयुंक्त रूप से कास्त कर रखी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को उपर्युक्त वर्णित भूमि पर मिले तो उन्होने बताया कि यह हमारी भूमि है, आप यहां से निकल जाओ। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खसरा संख्या 165 की 3.238 हैक्टर खसरा संख्या 167 की 0.253 हैक्टर तथा खसरा सं. 179 की 0.633 हैक्टर कुल 4.124 हैक्टर भूमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण के नाम से रोही रंगमहल में कोई भूमि नही है यह भूमाफिया है। लोगों की खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त करते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कास्त कर रखा है जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। जैरवाद भूमि पर फसल कास्त कर फुट ऑफ लेन्ड उठाया जा रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसील सूरतगढ़ की रोही रंगमहल की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं. 38/56 के खसरा संख्या 165 की 3.238 हैक्टर, खसरा संख्या 167 की 0.253 हैक्टर, खसरा संख्या 179 की 0.633 हैक्टर कुल 4.124 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से वाद पत्र के निर्णय तक कब्जा बनाये रखने के लिये 5000/– प्रतिबीघा के हिसाब से नगद प्रतिभूति की राशि जमा करवाये जाने और यह राशि जमा नही करवाये जाने पर प्रार्थीगण की भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को रिसिवर नियुक्त किया जाकर भूमि में फसल काश्त करने की व्यवस्था करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया। पत्रावली पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सं 1 व 2 को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी न. 1 ता 2 बावजूद रजि0 नोटिस उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया मुताबिक ग्राम रंगमहल की जमाबंन्दी संवत् 2071 ता 74 के खाता सं. 38/36 में कुल 6.920 हैक्टर भूमि प्रार्थी सं. 1 ता 3 के स्वयं, प्रार्थी सं. 4/1 ता 4/3 के पति/पिता नेतराम तथा प्रार्थी सं. 5 ता 9 के स्वयं के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने उनकी खातेदारी भूमि में से 4.124 हैक्टर भूमि पर जबरन कब्जा कास्त कर लिया है। किन्तु इस सम्बन्ध में उन्होने कोई पुख्ता साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने उनकी खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लिया हो। भूमि को रिसीवर करना कठोरतम उपाय है। इस प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत नही है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझते है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:29:35 IST
Reason: SelfAttested